प्रश्नावली संख्या–1 Questionnaire-1



भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग GOVERNMENT OF INDIA NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा

Review of implementation of various safeguards and programmes for development of Scheduled Tribes at the level of Central Ministries/ Departments

मंत्रालय का नाम _____

Name of the Ministry_____

विभाग का नाम _____

Name of the Department_____

1. संगठनात्मक गठन

Organisational Setup

कृपया प्रस्तुत करें Please furnish

(i) मंत्रालय / विभाग के सचिव का नाम और संपर्क विवरण

Name and Contact details of the Secretary of the Ministry/ Department नाम एवं पदनामः Name and designation: पताः Address: दूरभाष सं.: Telephone No.: फैक्स सं.: FAX No. मोबाइल सं.: Mobile No.: ई—मेल आईडी E-mail ID:

(यदि मंत्रालय में दो या अधिक विभाग हो तो कृपया प्रत्येक विभाग के संबंध में अलग–अलग विवरण प्रस्तूत करें)।

(In case there are two are more Departments in the Ministry, please furnish details in respect of each Department Separately).

(ii) मंत्रालय / विभाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचना प्रस्तुत करने के लिए पद नामित अधिकारी का विवरण

Details of the Officer nominated as Laision Officer for STs in the Ministry/ Department and designated to furnish information to the NCST:

नाम

Name:

पदनामः

Designation:

पता

Address:

दूरभाष सः कार्यालय :	फैक्स :	मोबाइल	
Telephone: Office:	Fax	Mob:	
ई—मेल आईडी			-

Email ID :

(iii) कृपया अपने मंत्रालय / विभाग का संगठनात्मक चार्ट दें।

Please give the organizational chart of your Ministry/Department.

(iv) कृपया अपने मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन

(क) संबद्ध कार्यालयों

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों

(ग) लोक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों की पृथक सूची इंगित करें।

Please indicate separately the List of

(a) Attached Offices

(b) Subordinate Offices

(c) PSEs and Autonomous Organisations under the administrative control of your Ministry/ Department.

(v) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित
की गई अंतिम समीक्षा की तारीख

 (vi) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समीक्षा रिपोर्ट / सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने की तारीख Action taken report on the report/ recommendations of review by NCST sent on :

(कृपया की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें) (Please attach a copy of the Action taken report)

2. मंत्रालय/विभाग को सौंपे गए विषयगत मुद्दे

कृपया मंत्रालय / विभाग को सौंपे गए और मंत्रालय / विभाग द्वारा हाथ में लिए गए विषयगत मुद्दों के बारे में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें। कृपया यह भी सूचित करें कि क्या इन गतिविधियों / कार्यक्रमों / स्कीमों का प्रसार जनजातीय क्षेत्रों / अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है। यदि हां तो (i) इन गतिविधियों / कार्यक्रमों / स्कीमों के लाभों का प्रवाह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय उपयोजना / अनुसूचित क्षेत्रों को मिल रहा है और (ii) उन गतिविधियों / कार्यक्रमों / स्कीमों के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के संभावित शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

Subject matters assigned to the Ministry/ Department

Please furnishe a detailed Note about the subject matters assigned to the Ministry/ Department and the undertaken by the Ministry/ Department. Please also intimate whether scope of the activities/ programmes/ schemes extends to the Tribal areas/ Scheduled Areas. If so, what policy is being followed to ensure (i) flow of benefits of the activities/ programmes/ schemes to the Scheduled Tribes and the Tribal Sub-Plan/Scheduled Areas and (ii) protection of Scheduled Tribes from any kind of exploitation likely to be caused due to implantation of those activities/ programmes and schemes?

समाजार्थिक विकास

Socio-economic development

(i) कृपया मंत्रालय/विभाग/संगठन की जनजातीय उप योजना के अधीन जनजातीय क्षेत्रों में विकास जैसे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं समाजार्थिक विकास के लिए आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक स्कीम/गतिविधि का ब्यौरा दें। क्या यह सूचना क्रमशः आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है?

Please give the details of each scheme/activity undertaken by your Ministry/ Department/ Organization for the welfare and socio-economic development of Scheduled Tribes under the Tribal Sub-Plan of the Ministry/ Department like development in tribal areas. Whether this information is also incorporated in the Annual Report of your Ministry/ Department and subordinate offices and PSUs respectively?

पिछले एवं चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक विहित जनजातीय उप–योजना विवरणों (वित्तीय एवं भौतिक) की एक प्रति संलग्न की जाए।

A copy each of the prescribed Tribal Sub-Plan statements (Financial and physical) for the last and the current financial year may be attached.

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका 1 में पिछले तीन वर्षों के लिए मंत्रालय की जनजातीय उप–योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के आवंटन एवं व्यय को इंगित करें :

Please indicate the allocation and expenditure of the funds allotted under the Tribal Sub Plan of the Ministry for the last 3 years in the following **TABLE 1**:

तालिका १ TABLE १

(रूपए करोड़ में) (Rs in Crores)

वर्ष Year	कुल परिव्यय	जनजातीय उप–योजना के	के अधीन किय Expenditure	ा गया व्यय incurred under	कुल व्यय में से टीएसपी के अंतर्गत
	Total Outlay	अंतर्गत आवंटित राशि Amount allotted under Tribal Sub Plan	कुल योजना Total Plan	जनजातीय उप–योजना Tribal Sub-Plan	व्यय की प्रतिशतता Percentage of expr. under TSP to total expr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापन

Displacement due to implementation of various projects

(i) क्या मंत्रालय / विभाग / संगठन की कोई परियोजना है जो अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन से संबद्ध है या संबद्ध होनी संभावित है? यदि हां तो, विस्थापित हुए / विस्थापित होने वाले अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की संख्या और उनकी राहत तथा पुनर्वास के लिए स्कीम के साथ उसका व्यौरा प्रस्तुत करें।

Please give details of the project(s) under the control of the Ministry/ Department which has/have involved or is likely to involve displacement of Scheduled Tribes? If yes, details thereof with the number of ST persons displaced/ to be displaced and scheme for their relief and rehabilitation may be furnished.

- (ii) <u>संकल्पना स्तर पर परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं के बारे में सूचना प्रस्तुत करें जो</u> <u>संभावित रूप से विस्थापन कारित कर सकती है।</u> <u>Information about the projects which are at conceptual stage, and such</u> <u>projects are likely to cause displacements, may also be furnished.</u>
- 5. अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण

Service Safeguards for Scheduled Tribes

5.1 रोजगार स्थिति

Employment status

(क) मंत्रालय / विभाग

(a) Ministry/Department

 (i) कृपया निम्नलिखित तालिका में आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सहित समूहवार क्षमता इंगित करें :

Please indicate the Group-wise strength of your Ministry/ Department only along with the representation of Scheduled Tribes in the following Tables:

तालिका 2 TABLE 2

(02/07/1997 के अनुसार)

						02/07/1997)
क्रं.सं	पदों का समूह	स्वीकृत पदों	मौजूदा	उनमें में अ.ज.		टिप्पणियां
		की कुल सं0	कर्मचारियों	जा.	कर्मचारियों में	Remarks
S. N0.	Group of Posts	Total No. of Sanctioned posts.	की कुल सं0 Total No. of Employee s in position	Employee s among	से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A')					

2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung			
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)			
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)			
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)			
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस—सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)			
7.	समूह 'ग' (एमटीएस–सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies			
1	कूल Total			

तालिका 3 TABLE 3

(01 / 01 / 2014 के अनुसार) (As on 01/01/2014)

	N.				(As on 01/01/201
क्र.स	पदों का समूह	स्वीकृत पदों	मौजूदा	उनमें में अ.ज.	कुल टिप्पणियां
		की कुल सं0	कर्मचारियों	जा.	कर्मचारियों में Remarks
S.	Group of Posts	Total No.	की कुल	कर्मचारियों की	
N0.		Of	सं0	सं0	की प्रतिशतता
1.00		Sanctioned posts.	Total No.		Percentage
1.1	nn sy ta i g	posis.	of	Employee	of ST to
			Employee	s among	total

Page - 6 - of 21

		s in position	them	employees	
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A')				
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung				
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)				
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)				
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)				
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस–सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)				
7.	समूह 'ग' (एमटीएस–सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies				
	कूल Total				

तालिका 4 TABLE 4

(01 / 01 / 20**18**के अनुसार) (As on 01/01/2022)

क्रं.सं	पदों का समूह	स्वीकृत पदों की कुल सं0	मौजूदा कर्मचारियों	उनमें में अ.ज. जा.		िमिणग2022 टिप्पणियां Remarks
S. N0.	Group of Posts	Total No. of Sanctioned posts.	की कुल सं0 Total No. of Employee s in position	कर्मचारियों की संo No. of ST Employee	से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर)					
	Group 'A'(other than lowest	-				
	rung of group'A')					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung		1			
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)		ŝ			
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस–सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					

7.	समूह 'ग' (एमटीएससफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies			
	कूल Total	115		

(ख) संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय / लोकक्षेत्र उपक्रम और स्वायत्त संगठन

(b) Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations

 (i) कृपया मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, यदि कोई है तो, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों की सूची प्रस्तूत करें।

Please furnish a list of Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations under the administrative control of Ministry/ Department if any,

(ii) कृपया मंत्रालय/विभाग में अन्य मंत्रालय द्वारा पद स्थापित किए जाने वाली नियुक्ति के पदों के बारे में अर्थात ऐसे पद जिनके संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कोई अन्य मंत्रालय/विभाग है, सूचना प्रस्तुत करें।

Please furnish details about the Posts, in the Ministry/Department, appointment to which are made by posting by other Ministries, i.e. the posts with respect to which some other Ministry/ Department is the Cadre Controlling Authority.

(iii) कृपया मंत्रालय/विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों के भी बारे में सूचना प्रस्तुत करें जिनके संबंध में आपका मंत्रालय/विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।

Please also furnish details about the Services/ Posts, in the Ministry/Department and also in respect of Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations, with respect to which your Ministry/ Department is the Cadre Controlling Authority.

5.2 मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा नियंत्रित किए जा रहे पदों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की भर्ती एवं प्रतिनिधित्व।

Recruitment and Representation of STs. with reference to posts being controlled by the Ministry/ Department

(i) कृपया सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध रियायतों / छूट को इंगित करते हुए सभी ग्रेड / पदों की भर्ती और पदोन्नति नीति पर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें। भर्ती नियमावली की एक सूची संलग्न करें। Please give a brief note on the recruitment and promotion policy in respect of all Grades/ posts in the Ministry/Department indicating the available concessions/ relaxations for STs in direct recruitment and promotion. A list of Recruitment Rules may be attached.

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में सीधी भर्ती और पदोन्नति में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदो के लिए अलग–अलग नीचे (तालिका 6) में दिए गए प्रपत्र में <u>पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के लिए</u> अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत पदों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संख्या और बिना भरे आरक्षित पदों के संबंध में सूचना प्रस्तूत करें।

Please furnish the information in the following TABLE with respect to sanctioned posts, number reserved for STs and unfilled reserved posts for the <u>last three calendar</u> years in the format given below (**TABLE 6**) separately for Group 'A', 'B' and 'C' posts in direct recruitment and promotion.

	ातीकच गर्चो			4 1			0				statemer				
वर्ष	स्वीकृत पदों		अधीन		अधीन		अधीन		धीन अ.		न नियुक्त		गमी		क्लॉ ग
Year	की कुल सं0		शतता		रेक्तियों		तव में	1	जा. के		ज.जा.	Sh	ortfall	Ba	cklog
	Total No. of sanctioned	Perce	entage		सं0		ो गई		आरक्षित		वारों की				
	posts	ur	nder		o. of	रिक्ति	ायों की	रिक्ति	नयों की	सं० (क	नेष्ठक में				
					incies urred	7	нio		सं०		ो योग्यता				
					unou		o. of		No. of	पर च	यनों की				
					ider	act fil ur	ancies ually led nder	reser S ur	ancies ved for STs nder	No. cand appo (num selecti own me indica	गेत करें) of ST idates binted ber of ions on erit to be ated in s) under				
		सीधी भर्ती DR	पदोन्न ति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्न ति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्न ति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्न ति Pro	सीधी भर्ती	पदोन्न ति	सीधी भर्ती	पदोन्न ति	सीधी भर्ती	पदो ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DR 11	Pro 12	DR 13	Pro 14	DR 15	Pro 16
	समूह 'क' Group 'A'										12	13	14	15	16
	समूह 'ख' Group 'B'							_							
							-								_
	समूह 'ग' Group 'C'														
	समूह 'घ'														

तालिका ६ TABLE ६

(यदि आवश्यक हो तो पृथक विवरण संलग्न करें)

Page - 10 - of 21

Group 'D'				_		

: Direct Recruitment डीआरः सीधी भर्ती

Pro: Promotion प्रोः पदोन्नति

तालिका 6(i) to 6(iii)

(प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के संबंध में पृथक विवरण संलग्न करें) (Attach separate statement in r/o each calendar year)

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	के अधीन	के उ		के अधीन		के अधी		के अधी	न नियु	क्त अ.ज.		मी	बैव	क्लॉ ग
S.NO	का	पदों	आरआर	हुई रि	क्तियों	वास्तव में		ज.जा		जा. उम	नीदवार	ों की सं0	Sho	rtfall	Ba	cklog
	नाम	की	प्रतिशतता	की	सं0	गई रिक्ति	तयों	लिए आ	रक्षित			त्वयं की				9.1
	Name	कुल	As per		. of	की सं0 N	o. of	रिक्तिय	ों की			ायनों की				
	of post	कुल सं0	RRs Percentag	vaca		vacancie		संव)	सं0	इंगित	करें)		-		
	poor	Total	e	0000	arrou	actually f	filled		. of			ndidates				
		No. of sanctio	under	un	der	under		vacan reserve				umber of on own				1.1
		ned	under					ST		merit to	be inc	licated in				
		posts	1 . L	-				und	er	brac	kets) ı	under				
	<u>×</u>		सीधी भर्ती	पदोन्न	सीधी	पदोन्नति	सीधी	पदोन्नति	सीधी	पदोन्नति	सीधी	पदोन्नति	सीधी	पदोन्न	सीधी	पदोन्नति
			DR	ति Pro	ਮਰੀ DR	Pro	ਅਰੀਂ DR	Pro	ਅਰੀਂ DR	Pro	ਅਰੀ DR	Pro	ਮਰੀ DR	ति Pro	ਮਰੀ DR	Pro
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(i)																
(ii)														_		
(iii)																
(iv)																
(V)																
(vi)																
(vii)																
(viii)																
(ix)																
(X)																
(xi)																
(xii)																
(xiii)															1	
(xiv)												-				
(XV)																
(xvi)																
(xvii)					_											
(xviii)									_							+
(xix)																
(xx)			Recruitme							omotior		20			L	

(iv) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (अभियानों) के माध्यम से कोई विशेष प्रयास किए गए और समय—समय पर इस विषय में डीओपीटी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसके परिणाम इंगित करें।

TABLE 66(i) to 6(iii)

Please also indicate whether any special efforts were made to fill up the unfilled reserved vacancies through Special Recruitment Drive(s) and the results thereof taking into consideration DoPT's guidelines on the subject issued from time to time.

5.3 रोस्टरों का रख–रखाव

5.3 Maintenance of Rosters

(i) क्या डीओपीटी के दिनांक 19/01/2007 के का.ज्ञा संख्या 14017–2–1997 स्था(आरआर) के अनुसार एक पद को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने की पहचान से संबंधित नियम का अनुसरण किया जा रहा है।

Whether rule relating to identification of a vacant post to be filled by DR or promotion was being followed as per DoPT OM No. 14017_2_1997_Estt(RR) dated. 19/01/2007

रिक्त पद (पदों) की भर्ती के तरीके की पहचान के बाद निर्धारित पद आधारित रोस्टरों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकृत आरक्षण की गणना की जाएगी। कृपया दर्शाएं कि क्या प्रत्येक पद या पदों के समूह के लिए अलग–अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं।

After identifying the mode of recruitment of the vacant post(s), reservation entiltlement for ST has to be worked out through prescribed Post Based Rosters. Please state whether separate rosters are being maintained for each post or group of posts separately for

- (क) सीधी भर्ती
- (ख) पदोन्नति द्वारा भरे गए पद (जहां आरक्षण लागू है)?

कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

- (a) direct recruitment
- (b) posts filled by promotions (where reservation is applicable)?

Please furnish details.

(ii) मंत्रालय/विभाग ने तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों की श्रेणियां क्या है जिसके लिए एससी/एसटी के लिए आरक्षण में छूट है या आरक्षण विहित नहीं किया गया है और उसके कारण? पदों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए स्तर, वेतन श्रृखला और ऐसे पदों की संख्या को भी इंगित करते हुए अलग–अलग सूचना दी जाए

What are the categories of posts both technical and non-technical in the Ministry/ Department, for which reservation for SC/ST is exempt or reservation has not been prescribed and the reasons thereof? Information may be given separately for direct recruitment and promotion of posts indicating also the level, pay scales and number of such posts.

⁽iii) क्या पृथक रूप से आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जा रहा है– (क) स्थायी नियुक्ति और स्थायी होने के लिए संभावित या अनिश्चितकाल तक जारी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियां

- (ख) तदर्थ नियुक्तियों और 45 दिनों या अधिक अवधि की विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों
- (ग) बाह्य स्रोतों / संविदाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियां। कृपया ब्यौरा प्रस्तूत करें।

Whether reservation rosters are also being maintained separately for

- (a) permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or continue indefinitely
- (b) Ad-hoc appointments and purely temporary appointments of 45 days or more duration?.
- (c) Appointments made through outsourcing /contracts

Please furnish details.

established?

- (iv) क्या रोस्टर प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो किन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है और यदि नहीं, तो वह समय सीमा जब इसे स्थापित किया जाएगा? Whether steps have been taken to computerize the roster system? If yes, what difficulties are being faced and if not, the time-frame by which it will be
- (v) क्या प्रत्येक भर्ती वर्ष के अंत में रोस्टर पंजिका में आगे ले जायी गयी/कमी/बैकलॉग/आरक्षित रिक्तियों की अधिकता का सारांश दिया गया है? Whether summary of the carry forward/ shortfall/ backlog/ excess of reserved vacancies is given in the roster register at the end of each recruitment year?
- (vi) क्या रोस्टरों के रख–रखाव के लिए सीधी भती में पदों के समूहीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि हां, तो कृपया समूहीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कवर होने वाले उनके वेतनमान के साथ पदों को इंगित करते हुए ब्यौरा दें। कृपया उस प्राधिकारी को भी इंगित करें जिसने पदो के समूहीकरण का अनुमोदन किया था।

Is the procedure of grouping the posts in the direct recruitment adopted for maintaining rosters? If so, please give details indicating the posts with their pay scale covered under the grouping procedure. Also, please indicate the authority that approved the grouping of posts.

5.4 (क) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में छूट एवं रियायतें

(a) Relaxations and Concessions in Direct Recruitment and Promotions

 (i) कृपया सीधी भर्ती के मामले में और समूह 'ग', 'ख' और 'क' में तथा समूह 'क' के अंदर पदों पर पदोन्नति देते समय अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध रियायतों के प्रावधान को इंगित करें।

Please indicate the provision of concessions available to STs in the matter of Direct Recruitment and while making promotion to posts in groups 'C', 'B' and 'A' and within Group 'A'.

(ii) क्या सेवाओं में आरक्षण पर डीओपीटी विवरणिका में निहित अद्यतन निर्देशों का अनूसरण किया

जा रहा है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Whether up-to-date instructions contained in the DoPT brochure on reservation in services is being followed?. A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

(b) वरिष्ठता Seniority

(iii) कृपया पूर्व में पदोन्नत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16(4ख) के अंतर्गत प्रावधान के कार्यान्वयन, जिसके लिए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसरण में डीओपीटी के दिनांक 21.01.2002 के का. ज्ञा. द्वारा निर्देश भी अधिसूचित किए गए हैं के लिए प्राप्त शिकायतों का आकार और, उसमें आ रही कठिनाइयों को, यदि कोई हैं तो, इंगित करें।

Please indicate the size of complaints received for, and the problems if any being faced in, implementing the provision under Article 16 (4b) of the Constitution, relating to consequential seniority of ST employees promoted earlier, for which instructions have also been notified vide DoPT O M dated 21.01.2002.in persuasion of the Constitution (85th) Amendment Act, 2001.

5.5 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण (डी–रिजर्वेशन) Dereservation of posts reserved for STs

(i) कृपया 2003–04 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के अनुसूचित जातियों के साथ परस्पर अदला–बदली एवं इसके विलोमतः ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Please furnish the details of the posts reserved for STs inter-changed with SCs and vice-versa after 2003-04.

(ii) कृपया निम्नलिखित तालिका 7 में पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति एवं सीधी भर्ती में, यदि कोई है तो, विभिन्न पदों के अनारक्षण के लिए अनुमोदन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजे गए प्रस्तावों (मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रण के अधीन समीक्षाधीन) के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था और पदों को अनारक्षित किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके कारण स्पष्ट करें और प्राधिकारी का ब्यौरा दें जिसने पदों को अनारक्षित किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके कारण स्पष्ट करें और प्राधिकारी का ब्यौरा दें जिसने पदों को अनारक्षित किया था।

Please furnish the details in the following **TABLE 7** regarding proposals for dereservation of various posts, (under the Control of the Ministry/ Department/ Organisation under review) in promotion and direct recruitment, if any, sent to the Deptt. of Personnel & Training & the National Commission for Scheduled Tribes for approval during last three years. In case dereservation proposal was not submitted to the National Commission for Scheduled Tribes, and post were dereserved, please explain the reasons thereof and the authority who had de-reserved the posts

तालिका ७ TABLE ७

क्र.सं0 S.No.	पद का नाम Name of post	ग्रेड और वेतनमान Grade and Pay Scale	अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी गई अ.ज. जा. के लिए आरिक्षत रिक्तियों की संo No. of ST reserved vacancies filled from other category candidates	कैलेंडर वर्ष जब अ.ज. जा.रिक्ति उत्पन्न हुई Calendar year when ST vacancy arose	क्या अनारक्षित के रूप मेंपरिचालित करने से पहले अनारक्षण के लिए डीओपीटी और एनसीएसटी दोनों का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया अथवा नहीं Whether specific approval both of DoPT and NCST was received for dereservation before circulating as	यदि स्तंभ (6) का उत्तर नहीं है तो कृपया अनारक्षण का अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी एवं उसके आधारों को इंगित करें। If answer under Col. (6) is no, please indicate the Authority which approved dereservation and the grounds thereof.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	unreserved (6)	(7)
1						
2						
3						

5.7 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया Selection procedure for appointing ST candidates

(i) कृपया इंगित करें कि क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether the Scheduled Tribe candidates are interviewed on separate dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

(ii) कृपया इंगित करें कि क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डो/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो कृपया भर्ती बोर्डो/चयन

Page - 15 - of 21

समितियों / विभागीय पदोन्नति समितियों के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का स्तर इंगित करें। इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether any representative of Scheduled Tribes is included in various Recruitment Boards/ Selection Committees/ DPCs for the posts wherein reservations/ concessions for Scheduled Tribes are applicable? If, so, the level of ST representative as compared to the other members of the Recruitment Board/ Selection Committees/ DPCs may please be indicated? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

(iii) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या किसी अवसर पर कार्रवाइयों में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि(यों) का विसम्मति नोट रिकॉर्ड किया गया?

Please also indicate whether at any occasion, the ST representative(s) recorded note of dissent in the proceedings?

(iv) कृपया बताएं कि क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है?

Please state whether the number of posts reserved for ST is clearly indicated in the advertisements for direct recruitment? Please state whether copies of advertisements are sent to Welfare Association and Organisations of Scheduled Tribes?

5.8 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

HRD and Training

(i) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनकी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय/विभाग/संगठन की कोई मानव संसाधन विकास नीति है? ऐसे प्रावधानों का कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विवरण दिया जाए।

Whether Ministry/ Department/ Organization has any HRD policy to provide extra support/ training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies?. The details of such provisions may be spelt out for each category of employee.

(ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।

Please give the number of employees sent for specialized training abroad during the last three years and the number of Scheduled Tribes employees among them in each year.

5.9 भर्ती नियमों में संशोधन Amendment of Recruitment Rules

डीओपीटी के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के का.ज्ञा. सं0 36012/17/2002-स्थापना(आ.) का पैरा 3क (iv) प्रावधान करता है कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों की आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जा सकती हैं और बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जायी जाती हैं और अनुवर्ती भर्ती वर्ष में भी रिक्त रहती हैं, उन्हें जब तक उस श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं ली जाती जिसके लिए वे आरक्षित हैं पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जाया जाएगा। इसी प्रकार उसी कार्यालय ज्ञापन का पैरा 4 प्रावधान करता है कि यदि आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं होता है तो उस संवर्ग में जब कभी भुर्तियां की जाती हैं, आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार, इस कारण से पद आधारित आरक्षण के मामले में आरक्षण ऐसे व्यपगत नहीं होगा कि आरक्षित पदों को वर्षों की एक विनिर्दिष्ट संख्या में भरा नहीं जा सका था।

पद आधारित रोस्टर के संबंध में डीओपीटी के अनुदेश, पदोन्नति से सीधी भर्ती और इसके विलोमतः आरक्षित बिन्दु के विनिमय का प्रावधान भी करते हैं यदि भर्ती के खास तरीके से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों। इन निर्देशों के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के आगमन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों को संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। कृपया पद आधारित रोस्टरों को लागू करने के बाद मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन विभिन्न पदों के संबंध में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने हेतू उठाये गये कदमों को इंगित करें।

Para 3 A (iv) of the DoPT OM No. 36012/17/2002-Estt.(Res) dated 6th November, 2003 provides that if vacancies reserved for SCs/STs/OBCs cannot be filled up and are carried forward as backlog vacancies and remain unfilled in the following recruitment year also, they will be carried forward as backlog vacancies for subsequent recruitment year(s) as long as these are not filled by candidates of the category for which these are reserved. Similarly, Para 4 of the same OM stipulates that if reservation quota is not complete, efforts would be made to complete the reservation quota whenever the recruitments are made in the cadre. Thus, reservation would not lapse in case of post based reservation for the reason that reserved posts could not be filled for a specified number of years.

The DoPT instructions regarding Post Based Roster also provide for exchange of reserved point from promotion to Direct Recruitment and vice-versa, if suitable candidates are not available from a particular mode of recruitment. In view of these directives it becomes necessary to amend the Recruitment Rules of various posts to facilitate induction of ST candidates against vacancies reserved for Scheduled Tribes. Please indicate the steps taken to amend the Recruitment Rules, to meet this objective in respect of various posts under the control of the Ministry/ Department/ Organisation, after induction of the Post Based Rosters.

5.10. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली Monitoring System for implementation of reservation policy

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठन/लोकक्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन हो, आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा क्या जांच युक्ति अपनायी जाती है?

What are the checks devised by your Ministry/ Department/ Organization to ensure that the reservation policy for STs is implemented properly in the Ministry and also in the Organisations / PSUs under the control of the Ministry?.

(ii) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure prescribed for redressal of grievances of Scheduled Tribes employees?

(iii) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने एवं मॉनिटर करने के लिए शिकायत पंजिका रखी जा रही है?

Whether a complaint register is being maintained in order to register and monitor the grievances of ST employees?

(iv) क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए समय सीमा बताएं।

Whether Computerized Grievance Management System is being implemented or not?, if not, time frame for its establishment.

(v) क्या संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? यदि हां तो, कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना को इंगित करें।

Has a Scheduled Tribes Cell been set up under the direct control of Liaison Officer? If so, please indicate the composition of this cell.

(vi) कृपया मुख्यालय में और आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों में मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन/फैक्स नम्बर तथा ई—मेल पते इंगित करें।

Please indicate the name, designation, phone/ FAX number and e-mail addresses of the Chief Liaison Officer/ Liaison Officer in the Hq. Office of the Attached/ Sub-Ordinate Office/ PSUs under the control of your Ministry/ Department.

(vii) क्या आपका मंत्रालय/विभाग/संगठन अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का निपटान करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है? कृपया ऐसी बैठकों का ब्यौरा/बारम्बारता प्रस्तुत करें। संघ के साथ अंतिम बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करें। Does your Ministry/ Department hold periodical meetings with recognized Scheduled Tribes employees/ ST Employees Welfare Association to sort out their problems and grievances? Please furnish details/ frequency of such meetings. The minutes of the last meeting with the Association may be enclosed.

(viii) कृपया तालिका 8 में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके साथ भेदभाव के संबंध में प्राप्त एवं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करें :

Please furnish details in the following **TABLE 8** about the number of complaints received and disposed off in respect of discrimination or violation of rights of ST employees:

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति एवं निपटान Nature of complaints received and disposal during the year						
Year							
		पदोन्नति Promotion	वरिष्ठता Seniority	स्थानान्तरण Transfer	प्रशिक्षण सहित	उत्पीड़न के अन्य प्रकार	कुल TOTAL
					एचआरडी HRD including Training	Other type of harassment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सं. No.						
	निपटान						
	Disposal						
	सं.					h E. +.1	
	No.						
	निपटान						
	Disposal						
	सं.						
	No.						
	निपटान						
	Disposal सं.						
	No.						
	निपटान						
	Disposal						
कुल	राइंग्रे सं.						
TOTAL	No.						
	निपटान						
	Disposal						

TABLE 8

(ix) क्या अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला मंत्रालय/विभाग के ध्यान में लाया गया है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा और की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Has any case of sexual harassment of ST women employees been brought to the notice of the Ministry/Department? If so, please furnish the details thereof and action taken.

(x) क्या संगठन में अस्तित्व/ कार्यरत/ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र हैं ।

Whether internal grievance redressal mechanism is existent/ functional in the Organisation

(a) प्राप्त शिकायतों की संख्या

Number of grievances received

(b) निवारण शिकायतों की संख्या

Number of grievances addressed

(c) लंबित शिकायतों की संख्या

Number of grievances pending

5.11 अन्य संबंधित मुद्दे Other related issues

 (i) कृपया इस विषय पर कर्मचारी संघ या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के साथ स्थानान्तरण नीति एवं समझौते के ज्ञापन का एक सेट प्रस्तुत करें।

Please furnish a set of transfer policy and Memorandum of agreement with the Employees Union or SC/ ST Employees Associations on the subject.

(ii) क्या स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संरक्षण से संबंधित डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है?

स्थानान्तरण नीति एवं पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

Whether instructions issued by DoPT regarding protection to ST employees in the matter of transfer and postings are being followed?

A brief note on the transfer policy and the cases dealt in the last five years may be furnished.

(iii) कृपया यह भी बताएं कि क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके संगठन में रोजगार प्राप्त किया है?

Page - 20 - of 21

यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें।

कृपया ऐसे मामलों को घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को भी इंगित करें।

Please also state whether instances have come to the notice where persons have obtained employment in your Ministry/ Department/ organization on the basis of false caste certificate?

If so, please indicate the number of such cases, action taken and present position of each case.

Also, please indicate the steps taken to avoid the occurrence of such cases.

(iv) क्या क्रमशः आपके मंत्रालय/विभाग/संगठन और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में आपके संगठन में कोई संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों में भी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजातियों (उसी तरह अनुसूचित जातियों के भी) के प्रतिनिधित्व से संबंधित एक पृथक अध्याय/अनुच्छेद शामिल किया जा रहा है?

Whether a separate Chapter/ paragraph relating to representation of Scheduled Tribes (as also of Scheduled Castes) in services/posts in your organization and also in the attached and subordinate offices and PSUs is being incorporated in the Annual Report of your Ministry/Department/ Organization and subordinate offices and PSUs respectively?

(v) कृपया जिन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या इंगित करें जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।

Please indicate the number of Scheduled Tribes who have been allotted Government accommodation against the total number of employees provided such facilities.

Page - 21 - of 21